फर्द अहकाम

राकेश कुमार **बनाम** कोरी देवी वगै.

...लय ACM, चौमूं

...ख्या वाद - 47/2021

...संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	08/11/23	वकीलों द्वारा आज कण्डोलैंस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 05/1/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	05/1/24	प.क्र. उप.। संशोधित डिक्री पूर्व के पेश हुआ। जो शा.कि. किया जाता है। प्रा.पत्र समझौता पत्र में टाइपिंग गलती दुरुस्त करने का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के हिस्से में आई भूमि 27/1 का रकबा 03.050 लिख दिया गया जबकि वह 03.0050 लिखा जाना चाहिये था व कुल 03.1500 लिख दिया गया जो 03.0150 लिखा जाना चाहिये था। प्रा.पत्र पर सुना गया। प्रतिवादीगण ने जवाब न देकर सीधी बहस की। बहस में प्रा.पत्र टाइपिंग गलती पर नो ऑब्जेक्शन प्लीड किया। प्रा.पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रा.पत्र समझौता पत्र में टाइपिंग गलती का स्वीकार किया जाता है। वादी ने समझौता पत्र के अनुसार वाद अंतिम डिक्री हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। मुताबिक समझौता पत्र के अनुसार वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा.कि. किया गया। अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के बाद दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

मु0सं0–47/2021
उनवान–राकेश कुमार बनाम छोटी देवी वगै0
निर्णय दिनांकः–05.01.2024

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश जाखड़ (R.A.S.)

उनवान

1. राकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री अरुण कुमार पारीक
2. मुकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री अरुण कुमार पारीक
3. ऋषिकेश पारीक पुत्र स्व0 श्री अरुण कुमार पारीक (मृतक दौराने वाद)
   3/1. संसृति देवी पत्नी श्री ऋषिकेश पारीक
   3/2. चित्राक्ष पुत्र श्री ऋषिकेश पारीक नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती संसृति देवी पत्नी श्री ऋषिकेश पारीक
   3/3. भगवती देवी पत्नी स्व0 श्री अरुण कुमार पारीक (पक्षकार वादी सं0 4)
4. भगवती देवी पत्नि स्व0 श्री अरुण कुमार पारीक

समस्त जाति पारीक, निवासी ग्राम सीतारामपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. छोटी देवी पत्नि भूराराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम सीतारामपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. श्रीमती अनुपमा पारीक पत्नि महेश कुमार पारीक, जाति पारीक, निवासी 104, सांकेत कॉलोनी, विजयबाड़ी, पथ नम्बर 7, सीकर रोड़, जयपुर।
3. श्रीमती संतोष पत्नि विनोद जांगिड़, जाति जांगिड़, निवासी 84, ऑफिसर्स कैम्पस एक्सटेंशन, सिरसी रोड़, खातीपुरा, जयपुर।
4. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय, चौमूं, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा गोविन्दगढ़, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–05.01.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण को सुना गया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांकित 28.07.2023 व समझौते अनुसार राजीनामा दिनांक 30.10.2023 के अनुसार वादपत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट व समझौते अनुसार राजीनामे का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 28.07.2023 व व समझौते अनुसार राजीनामा दिनांक 30.10.2023 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सीतारामपुरा, पटवार हल्का मलिकपुर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खातेदारी

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0–47/2021
उनवान–राकेश कुमार बनाम छोटी देवी वगै0
निर्णय दिनांकः–05.01.2024

भूमियां खसरा नं0 27 रकबा 6.02 हैक्टेयर, खसरा नं0 27/2167 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 6.03 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता हैः–

1. अनुपमा पत्नी महेश कुमार हि0 1/2 जाति पारीक निवासी 104 साकेत कॉलोनी विजयबाड़ी पथ नं0 7 सीकर रोड़ जयपुर राहिन ओ0बी0सी0 शाखा गोविन्दगढ़, सन्तोष पत्नी विनोद हि0 1/2 जाति जांगिड़ निवासी 84 ऑफिसर्स कैम्पस एक्सटेन्शन सिरसी रोड़ खातीपुरा जयपुर राहिन ओ0बी0सी0 शाखा गोविन्दगढ़ खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 27/3 रकबा 01.5075 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 01.5075 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।
2. छोटी देवी पत्नी भूरामल हिस्सा सम्पूर्ण जाति यादव खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 27/2 रकबा 1.5075 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 1.5075 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।
3. राकेश कुमार, मुकेश कुमार, ऋषिकेश पुत्रान अरुण कुमार, भगवती देवी पत्नी अरुण कुमार हिस्सा बराबर जाति पारीक सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नं0 27/1 रकबा 03.0050 है0, खसरा नं0 27/2167 रकबा 0.0100 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 03.0150 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा राजीनामा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)
सहायक कलेक्टर
चौमूं

मु0सं0–47 / 2021
उनवान–राकेश कुमार बनाम छोटी देवी वगै0
निर्णय दिनांकः–05.01.2024

डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर
पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश जाखड़ (R.A.S.)

उनवान

1. राकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री अरुण कुमार पारीक
2. मुकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री अरुण कुमार पारीक
3. ऋषिकेश पारीक पुत्र स्व0 श्री अरुण कुमार पारीक (मृतक दौराने वाद)
   3/1. संसृति देवी पत्नी श्री ऋषिकेश पारीक
   3/2. चित्राक्ष पुत्र श्री ऋषिकेश पारीक नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती संसृति देवी पत्नी श्री ऋषिकेश पारीक
   3/3. भगवती देवी पत्नी स्व0 श्री अरुण कुमार पारीक (पक्षकार वादी सं0 4)
4. भगवती देवी पत्नि स्व0 श्री अरुण कुमार पारीक

समस्त जाति पारीक, निवासी ग्राम सीतारामपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. छोटी देवी पत्नि भूराराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम सीतारामपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. श्रीमती अनुपमा पारीक पत्नि महेश कुमार पारीक, जाति पारीक, निवासी 104, सांकेत कॉलोनी, विजयबाड़ी, पथ नम्बर 7, सीकर रोड़, जयपुर।
3. श्रीमती संतोष पत्नि विनोद जांगिड़, जाति जांगिड़, निवासी 84, ऑफिसर्स कैम्पस एक्सटेंशन, सिरसी रोड़, खातीपुरा, जयपुर।
4. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय, चौमूं, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा गोविन्दगढ़, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :–47 / 2021

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी एवं प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्री राजेश जाखड़ आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि वाके ग्राम सीतारामपुरा, पटवार हल्का मलिकपुर, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित खातेदारी भूमियां खसरा नं0 27 रकबा 6.02 हैक्टेयर, खसरा नं0 27/2167 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल क़िता 2 का कुल रकबा 6.03 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 28.07.2023 व समझौते अनुसार राजीनामा दिनांक 30.10.2023 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:–

मु0सं0–47/2021
उनवान–राकेश कुमार बनाम छोटी देवी वगै0
निर्णय दिनांकः–05.01.2024

1. अनुपमा पत्नी महेश कुमार हि0 1/2 जाति पारीक निवासी 104 साकेत कॉलोनी विजयबाड़ी पथ नं0 7 सीकर रोड़ जयपुर राहिन ओ0बी0सी0 शाखा गोविन्दगढ़, सन्तोष पत्नी विनोद हि0 1/2 जाति जांगिड़ निवासी 84 ऑफिसर्स कैम्पस एक्सटेन्शन सिरसी रोड़ खातीपुरा जयपुर राहिन ओ0बी0सी0 शाखा गोविन्दगढ़ खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 27/3 रकबा 01.5075 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 01.5075 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।
2. छोटी देवी पत्नी भूरामल हिस्सा सम्पूर्ण जाति यादव खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 27/2 रकबा 1.5075 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 1.5075 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।
3. राकेश कुमार, मुकेश कुमार, ऋषिकेश पुत्रान अरुण कुमार, भगवती देवी पत्नी अरुण कुमार हिस्सा बराबर जाति पारीक सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नं0 27/1 रकबा 03.0050 है0, खसरा नं0 27/2167 रकबा 0.0100 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 03.0150 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 05.01.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत........कलक्टर
ओहदा..........(जयपुर)..

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	3
जोड़	6	जोड़	3

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)